

यूटो लैंक

UCO BANK

क्षेत्रीय कार्यालय, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि.प्र.)

निवास व टीवीटी वेर्टिप्टा.वर्नानिक्ट दस्तावेज़।

महिला द्वाका प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधिकारीहरने ने वित्तीय सम्बलियों के प्रतिभूक्तिकाण तथा पुनर्निर्माण और प्रतिभूति व्याज के प्रबल्लन अधिकारीयम 2002 (जारीकर्ता) की वारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी करके निम्नसिद्धित सम्बलियों पर अपना कानून लेता है। अधिकारीहस्ताक्षरी द्वारा देवक के बकाया को वास्तव करने के लिए निचे वास्तविकदर्शगांठों की सम्पत्तियों की विक्री "जैसी है जहाँ है तथा वहाँ है जो कुछ है" के आश्रम पर विक्री का निर्णय लिया है।

दस्तावेज़ नं. शारण्डा दस्तावेज़ नाम (यापनानं के म्यामी)	कार्यालय, गांठना कार्यालय	चाल.अचल यापनि का विवरण	कर्जों की निधि	वम्तान गाँश (रु. में)	आवास्तान पूळ (लाख रु. में)	प्रगहर गाँश (रु. में)
01908-224538-	श्री हुमेल कुम्हर	श्री हुमेल कुम्हर के नाम पर मुहल जलाये हर परगणा	30.11.2010	केवल रु. 3,97,300.00 एवं प्रभार केवल रु. 5,67,413.00 एवं प्रभार	3,97,300.00 रु. 5,67,413.00 रु.	3,97,300.00 रु. 5,67,413.00 रु.
1. श्री सुनील कुम्हर जात्र श्री जान चाल	श्री हुमेल कुम्हर श्री जान चाल	श्री हुमेल कुम्हर श्री जान चाल जिला मण्डी (हि.प्र.) में खाला नं. 147, खालीना नं. 187 खासगान नं. 733455 में शामिल	30.11.2010	प्रभार केवल रु. 9,00,000/- रु.	9,00,000/- रु.	9,00,000/- रु.
2. म.रोहुल देविंदा को के स्वामी श्रीमती मार्त्ती घनी श्री हुमेल कुम्हर।	म.रोहुल देविंदा को के स्वामी श्रीमती मार्त्ती घनी श्री हुमेल कुम्हर।	म.रोहुल देविंदा को के स्वामी श्रीमती मार्त्ती घनी श्री हुमेल कुम्हर।	प्रभार केवल रु. 12-10 बीमा में उपग्रहित प्रभार भवत के सभी अनिवार्य अग।			

मीलामी की निवास व व शर्तें:- 1. उपर कथित सम्पत्ति ऊपर वर्णित आवधित पूळ से नीचे नहीं बेची जाएंगी। इच्छुक खरीदार बोलीदाताओं से ऊपर वर्णित आवधित पूळ का 10% धर्मशाला यांत्रिक देय पै औडर/डिमांड इफ्ट क्षेत्रीय कार्यालय युक्त बैंक धर्मशाला में अदा करना अपेक्षित है निवास व 21 दिसंबर 2016 को दोपहर 12.00 बजे खोली जाएंगी। 2. उच्चतम बोलीदाता को धर्मशाला को खोली गाँश को मिला कर खोली गाँश का 25% हिस्सा 24 घंटों के भीतर युक्त बैंक धर्मशाला के पक्ष में पे आईर-बैंक इफ्ट के द्वारा जामा कराना होगा। इसमें असफल रहने पर जमा की गई धर्मशाला का जमा कर ली जाएगी। 3. बकाया राशि 75% खरीदार द्वारा युक्त बैंक द्वारा विक्री की पुष्टि होने के 15वें दिन या उसमें पहले अदा की जानी चाहिए। निर्धारित अवधि के भीतर इस बकाया राशि को अदा करने में असफल रहने पर जमा की गई धर्मशाला का निरीक्षण करते ही अधिकारी उच्चतम प्रस्ताव या सभी प्रस्ताव को खालीकार करने के लिए बाध्य नहीं है तथा उसे बिना किसी कारण बताए किसी वा सभी निवासों को रद्द या स्थीकार करते का अधिकार सुझाई है। 5. सफल खरीदार कानून के अनुसार लागू स्थाप्त इयूटी, पंजीकरण फैस आदि के तौर पर हस्तांतरण विलेख के लिए शायारी/फाईस की अदायगी का वहन करेगा। 6. इच्छुक दस्त जी याट का निरीक्षण करते के इच्छुक हैं, वो 20 दिसंबर 2016 को या इसके पहले किसी भी कार्यालयस को शाखा प्रबंधक से समर्पक कर सकते हैं। 7. विक्री/निवासी प्राधिकृत अधिकारी में द्वारा पुष्ट के अधीन है। 8. अधेशहस्ताक्षरी इस घोषणा में किसी गलती, गलत व्यापकता या चक्र के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। 9. यह सूचना कार दिए गए सभी कर्जदारों व गांठों के लिए एक सेटिस भी है।

दिनांक : 19.11.2016*

स्थान: धर्मशाला

प्राधिकृत अधिकारी, युक्त सेट
क्षेत्रीय कार्यालय, धर्मशाला